

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

२२-११-२२

जज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलवायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी एवं अदम नदी वसूली साबित होती है। अतः यह गद/प्राथम्य पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर जिला लेख मण्डार अलवर जमा करवाई जायें।

उपस्थण्ड अधिका
मिमराना (अलवर)

